76

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0................/15–16 पुर्नाविलोकन रि0- 3191 - I - 16

रामवीर पुत्र नत्थी सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना ....आवेदक

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि. 19/9/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

19.9.16

बनाम

1–बालमुकन्द पुत्र नत्थी सिह

2–उदयभान सिंह पुत्र नत्थी सिंह

3–सोवरनसिंह पुत्र छिद्दू सिंह

4–जसवन्त सिंह पुत्र छिद्दू सिंह

5–श्रीराम पुत्र छिद्दू सिंह

6–लोकेन्द्र सिंह पुत्र उदयभान सिंह

समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना

.......................अनावेदक

पुर्नाविलोकन आदेश विरुद्ध आदेश दिनांक 05/08/2016

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क0

R 2623 निगरानी अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना में स्थित खाता 1379 सम्वत 2070 के सर्वे क0 1158 रकवा 0.48, सर्वे क0 1415 रकवा 0.27, सर्वे क0 1526 रकवा 0.27, सर्वे क0 1527 रकवा 0.13, सर्वे क0 1529 रकवा 0.14, सर्वे क0 1675 रकवा 0.46, सर्वे क0 2340 रकवा 0.58, कुल किता 7 कुल रकवा 2.33, के सोवरन व जसवन्त पुत्र छिद्दू सिंह हिस्सा 2/3 कलावती पत्नी छिद्दू सिंह बालमुकन्द रामवीर उदयभानसिंह हिस्सा 1/3 के सहस्वामी होकर आधिपत्य धारी है तथा खाता क0 1236 के सर्वे क0 495 रकवा 0.04 के श्रीराम, जसवन्त, कलावती, वालमुकन्द 1/6 बाबूसिंह 1/2 सहस्वामी होकर आधिपत्यधारी है एवं खाता क0 1239 के सर्वे क0 630 रकवा 0.16, सर्वे क0 631 रकवा 0.16 के श्रीराम, सोवरन सिंह जसवन्त 3/8 कलावती, वालमुकन्द रामवीर उदयभान 1/8 लोकेन्द्र 1/2 के भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी होकर ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –3191–एक/16 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
4.5.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2623–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.08.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3191–एक/16 के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2623–एक/2016 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 05.08.16 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 3191–एक/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य